राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—1142/2024

संजू सहरिया

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये संयुक्त शासन सचिव (प्रशासन), राजस्व विभाग (ग्रुप—1), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
3. जिला कलेक्टर, जिला बारां।
4. तहसीलदार, तहसील किशनगंज, जिला बांरा।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 04.04.2024

उपस्थित —

अपीलार्थी की ओर से : श्री हीरालाल गोठवाल, अधिवक्ता

समक्ष :— अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा—4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में पटवारी के पद पर पटवार मण्डल, भंवरगढ, तहसील किशनगंज, जिला बारां में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक—1) के द्वारा वर्तमान पदस्थापित स्थान से पटवार मण्डल, भीलखेडा डांग, तहसील शाहबाद, जिला बांरा में किया गया है। बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अधिकरण के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत किये हैं कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक ही जिले में एक पटवार मण्डल से दूसरे पटवार मण्डल में किया गया है, जो आदेश राजस्व मण्डल, राजस्थान द्वारा पारित किया गया है। राजस्व मण्डल, राजस्थान को एक ही जिले में एक पटवार मण्डल से दूसरे पटवार मण्डल में स्थानान्तरण करने का अधिकार नहीं है। बहस के दौरान अपीलार्थी के अधिवक्ता से जब यह पूछा गया कि क्या अपीलार्थी ने स्थानान्तरित स्थान पर कार्य ग्रहण कर लिया है अथवा नहीं, तो अपीलार्थी ने अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी ने नये स्थान पर कार्य ग्रहण कर लिया है।
3. यह तथ्य कि अपीलार्थी ने स्थानान्तरित स्थान पर कार्य ग्रहण कर लिया है, अधिकरण के समक्ष बहस के दौरान प्रकट नहीं किया, बल्कि अधिकरण द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने पर यह तथ्य अधिकरण के समक्ष प्रकट किया है। इस नये

तथ्य से प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने आदेशों की पालना कर ली है। ऐसे में अपील सारहीन हो गयी है। इस आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है।

4. चूंकि अपीलार्थी की ओर से यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि उसने नये स्थान पर कार्य ग्रहण कर लिया था। ऐसे में अपीलार्थी की ओर से अधिकरण के समक्ष महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया गया है। अतः यह अधिकरण अपीलार्थी पर 5000/– रूपये हर्जाना अध्यारोपित करता है एवं यह आदेश दिया जाता है कि हर्जाने की राशि अपीलार्थी एक माह में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर मैट्रो प्रथम में जमा कराकर उसकी रसीद इस अधिकरण के रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यदि एक माह में रसीद प्रस्तुत नहीं की जाती है तो रजिस्ट्रार उक्त राशि की वसूली अपीलार्थी के वेतन से किये जाने के लिये कार्यवाही करेंगे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)